

रज्जो देवी बनाम शीकां

व  
म  
की  
गारी

इजराय  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

1410-2022 पत्रावली पेश हुई/वकील यादी/प्रतिवादी/  
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष  
अपस्थित है/अनुपस्थित है- श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य  
कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3110-2022  
को पेश हो।

रज्जो देवी

31-10-22 वकील डिफेंडर उप। वास्ते कदम  
पत्रावली दि 9-11-22 को पेश हो।

9-11-22 वकील डिफेंडर उप। वास्ते कदम  
पत्रावली दि 16-11-22 को पेश हो।

16-11-22 वकील डिफेंडर उप। वास्ते कदम  
पत्रावली दि 24-11-22 को पेश हो।

24-11-22 वकील डिफेंडर उप। कदम सुनी गई।  
वास्ते निर्णय पत्रावली दि 26-11-22 को पेश हो।

26-11-22 वकील डिफेंडर उप. है। प्रिथा रज्जो देवी द्वारा  
प्रस्तुत यह इजराय पत्रावली आधारहीन होने के कारण खारिज  
की जाती है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रा.  
दिया गया। पत्रावली फेसल सुमार टोकल नम्बर से कम ही एवं  
वाद तकमिल दाखिल कदम है।

उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (सं०मा०)



निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापूर सिटी जिला सवाई माधोपुर मुकदमा नम्बर 7/2021 तारीख रजू 23.7.2021 तारीख निर्णय 26.12.2022

रज्जो पुत्री बालू जाटव (चमार) निवासी सालोदा तह0 गंगापूर सिटी —प्रार्थिया बनाम

1. रीको जरिए क्षेत्रीय प्रबन्धक, खेरदा सवाई माधोपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर —अप्रार्थीगण  
अवार्ड के निष्पादन के लिए आवेदन पत्र

उपस्थित :- श्री अरविन्द अग्रवाल, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से  
श्री परमानन्द शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से  
निर्णय

उपरोक्त उनवानी इजराय प्रार्थना पत्र प्रार्थिया रज्जो पुत्री बालू जाटव निवासी सालोदा की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत प्रार्थिया की भूमि ख0नं0 84, 85 व निर्माण को जरिए आदेश दिनांक 26.11.1996 रीको के लिए अवाप्त की थी। उक्त अवाप्ति आदेश के विरुद्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश गंगापूर सिटी में एक रेफरेन्स मुत0 दीवानी संख्या 58/97 बीरवल ने प्रस्तुत किया। जिस पर माननीय अदालत द्वारा रेफरेन्स दिनांक 26.11.96 को स्वीकार करते हुए पारित किए गए अवार्ड में संशोधन किया कि "प्रार्थिया ने ए0 आई0 आर0 1991 एससी 1966 की नजीर पेश कर बताया कि मूल अवार्ड अधिक व्यक्तियों का है जबकि रेफरेन्स कम व्यक्तियों ने किया है ऐसी स्थिति में यदि मूल अवार्ड में संशोधन किया जाता है उसका फायदा उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होगा जिन व्यक्तियों ने रेफरेन्स नहीं किया है। नजीर का अवलोकन किया हम इस बिन्दु पर पूर्णतः सहमत हैं तथा इस रेफरेन्स का फायदा सभी को प्राप्त होगा।" अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया की जमीन ख0नं0 84 में स्थित गैरमुमकिन चाह की एक एयर जमीन की कीमत 4820/-रु0 नहीं दिए हैं तथा प्रार्थिया को बरानी किस्म की भूमि की दर 4400/-रुपए प्रति ऐयर की दर से भुगतान किया है जबकि चाही दर मुताबिक रेफरेन्स 4820/-रुपए प्रति एयर जमीन की कीमत से भुगतान करना था। इस प्रकार 420/- प्रति एयर की अन्तर राशि प्रार्थिया की ख0नं0 85 रकबा 0.39 है0 में से 1/2 भूमि का पैसा 8190/-रु0 अदा नहीं किया। इसी प्रकार जे0ईएन0 रिपोर्ट में दर्ज दासाबन्दी का पैसा 18263/-रु0 व 17060/-रु0 कुल 35323/-रु0 में हिस्सा 1/2 यानि 17661/-रु0 का भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार 30671/-रु0 का भुगतान बकाया है जिस पर 30 प्रतिशत सोलेशियम राशि 9201/-रु0 व धारा 23( 1ए) के तहत 3 वर्ष की राशि 12 प्रतिशत की दर से 11041/-रु0 का



जिला कलेक्टर  
पूर सिटी (स०मा०)

भुगतान नहीं किया है। कुल राशि 50913/-रु० होती है जिस पर मुताबिक रेफरेन्स ताभुगतान तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि दिनांक 26.11.1996 से 15.7.2021 तक 150993/-रु० कुल 201106/-रु० अप्रार्थी पर वाजिव बकाया है और प्रार्थिया उक्त राशि पर तावसूली 12 प्रतिशत साला ब्याज अतिरिक्त प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इजराय प्रार्थना पत्र मुताबिक अवार्ड स्वीकार फरमाया जाकर 201106/-रु० मय ता अदायगी 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के प्रार्थिया को भुगतान दिलाया जावे।

इजराय प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिया ने प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिलाकलेक्टर) गंगापुर सिटी दि० 26.11.1996, प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 27.11.1998 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, गंगापुर सिटी प्रस्तुत किए हैं।

इस प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि मुत०दीवानी सं० 58/97 रेफरेन्स बीरबल द्वारा प्रस्तुत करना बताया गया है वह ख०नं० 82, 83, 88 के सन्दर्भ में प्रस्तुत हुआ है जो अपर जिला जजी गंगापुर सिटी द्वारा दि० 27.11.1998 को निर्णित हुआ है। ख०नं० 84, 85 के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का रेफरेन्स डिक्रीदार रज्जो द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि ख०नं० 84 व 85 का मुआवजा का भुगतान मिन जबाबदार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी को दिनांक 29.1.1997 को प्रेषित किया जा चुका है जो खातेदारान द्वारा प्राप्त कर लिया है। अवाप्ति के सन्दर्भ में किसी प्रकार का मुआवजा बकाया नहीं है। वर्णित बकाया मुआवजे का विवरण पूर्णतः गलत है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र इजराय सब्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपने इजराय प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थिया की बकाया राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 से दिलाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थिया ने यह इजराय प्रार्थना पत्र गलत प्रस्तुत किया है क्योंकि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 27.11.1998 के अनुसार रेफरेन्स भूमि ख०नं० 82, 83, 88 के सम्बन्ध में बीरबल वगैरा द्वारा प्रस्तुत किया गया था

रज्जो बनाम रीको, सवाईमाधोपुर व अन्य, इजराय

( 3 )

जबकि प्रार्थिया ख०नं० 84, 85 के लिए प्रस्तुत इजराय के माध्यम से राशि की मांग कर रही है। इसलिए इजराय प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 26.11.1996 न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिलाकलेक्टर) गंगापूर सिटी के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिया की भूमि ख०नं० 85, 84 में भूमि अवाप्त की गई थी। इन नम्बरो में प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा दर्ज था। निर्णय दिनांक 27.11.1998 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, गंगापूर सिटी के अवलोकन से विदित है कि इस आदेश में रेफरेन्स भूमि ख०नं० 82, 83, 88 के लिए किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा बीरबल वगैरा को संशोधित राशि देने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थिया की अवाप्त भूमि ख०नं० 85, 84 के सम्बन्ध में प्रार्थिया ने ना तो कोई रेफरेन्स किया है और ना ही न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, गंगापूर सिटी ने ख०नं० 84, 85 के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया है। फलस्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत यह इजराय प्रार्थना पत्र आधारहीन है एवं अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया रज्जो पुत्री वालू जाति जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापूर सिटी द्वारा प्रस्तुत यह इजराय प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( नरेंद्र कुमार मीना )

उप जिलाकलेक्टर

गंगापूर सिटी

उप जिला कलेक्टर

गंगापूर सिटी (स०मा०)